विकास आयुक्त, बिहार द्वारा श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती, प्रकाशोत्सव की तैयारी की समीक्षा हेतु दिनांक–14.09.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम विकास आयुक्त द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि प्रकाशोत्सव के आयोजन में अब समय कम रह गया है। इसके पश्चात् आयोजन से संबंधित विभागों को आवंटित कार्यों की प्रगति की विभागवार समीक्षा प्रारम्भ की गई। इस कम में आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पावर प्वायंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभागवार कार्यो की अद्यतन स्थिति एवं आयोजन से जुडे कुछ विभागों से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षोपरान्त निम्नवत् निदेश दिए गए:–

पथ निर्माण	1. पथ निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में पाया गया कि पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत 7 योजनाओं में से मात्र एक योजना पूर्ण हो सकी है। लंबित अधिकांश योजनाओं में पूर्णता की तिथि नवम्बर माह प्रतिवेदित की गई है,जबकि पूर्व में सभी योजनाओं को जून–जुलाई तक पूर्ण कराने की बात कही गई थी। सभी योजनाओं को 31 अक्टूबर तक निश्चित रुप से पूरा कराने का निदेश दिया गया। 2. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत 25 योजनाओं में से 13 योजनायें पूर्ण हैं, जबकि शेष 12 योजनाओं को सितम्बर–अक्टूबर माह तक पूर्ण कराने का प्रतिवेदन समर्पित है। 3. सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पाईप लाईन नहीं बिछाये जाने के कारण एवं विद्युत विभाग द्वारा विद्युत पोल की शिफ्टिंग नहीं किये जाने के कारण कार्य बाधित है। प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य जल पर्षद को एक सप्ताह के अंदर संबंधित पथों में पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। कार्य में विलम्ब पर खेद व्यक्त किया गया। 4. समीक्षा के कम में पाया गया कि पथ निर्माण विभाग की अन्य 5 महत्वपूर्ण योजनायें अभी तक तकनीकी स्वीकृति की स्थिति में है। ये योजनायें मुख्यतः अशोक राज पथ की मरम्मति एवं सौन्दर्यीकरण से संबंधित है। साथ ही बाईपास थाना के निकट पार्किंग स्थल के पहुँच पथ की योजना भी इसमें सम्मिलित है। सचिव, पथ निर्माण विभाग को इन योजनाओं के शीध्र कार्यान्वयन का निदेश दिया गया। 5. अशोक राज पथ से कंगन धाट पर जाने के लिये पौन्टून ब्रिज के स्थान पर गड्ढा को भरकर सड़क निर्माण कराने का निर्णय लिया गया एवं उसके शीध्र कार्यान्वयन का अनुरोध सचिव, पथ निर्माण विभाग से किया गया। 6. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के द्वारा बताया गया कि 13 अक्टूबर को जागृति यात्रा निकलेगी जो झारखण्ड तक जायेगी। नवादा जाने वाली सड़क में (एन.एच.–30) पर कई जगह बड़े–बड़े गड्ढे हैं, जिससे पालकी ले जाने में कठिनाई होगी। उक्त

	पथ को 13 अक्टूबर से पूर्व मोटरेबल बनाने का अनुरोध सचिव, पथ निर्माण विभाग से किया गया। 7. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि 22 से 24 सितम्बर तक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, एवं मौर्या होटल पटना में " अंतर्राष्ट्रीय सिख कॉन्क्लेव" आयोजित है। उक्त अवसर पर देश–विदेश के गणमान्य अतिथियों का आगमन पटना में होगा। उक्त कम में अतिथिगण गुरुद्वारा साहिब भी जायेंगे। सचिव, पथ निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया कि उक्त अवसर पर पटना की मुख्य सड़कें एवं गुरुद्वारा तक के मार्ग की आवश्यक मरम्मति कराई जाय। विशेष रूप से एक्जीविशन रोड, सर्किट हाउस के पास, डाक बंगला के पास स्थिति खराब है। 8. प्रबंधक कमिटी के प्रतिनिधि द्वारा प्रकाशोत्सव की तैयारी में संलग्न वाहनों को टोल–टैक्स से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया। निदेश दिया गया कि प्रबंधक कमिटी द्वारा ऐसे वाहनों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
रेलवे	1. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत छः फुट ओवर ब्रिज का कार्य रेलवे द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। जब कि राशि जुलाई 2016 में ही विमुक्त की गई है। इस पर असंतोष व्यक्त किया गया। रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि टेण्डर की प्रकिया पूरी कर ली गई है। आयोजन से पूर्व पटना जक्शन से पटना सिटी वाले मार्ग के तीन फुट ओवर ब्रिज को पूर्ण करा दिया जायेगा। उन्हें निदेश दिया गया कि आयोजन से पूर्व सभी छः ओवर ब्रिज को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। 2. पटना साहिब एवं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पर्यटक सूचना केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु ले–आउट किया गया है। रेलवे के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि इसे नवम्बर माह तक पूर्ण करा लिया जायेगा। 3. पटना साहिब रेलवे स्टेशन भवन के जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति काफी धीमी है। इसे किसी भी परिस्थिति में नवम्बर माह तक पूर्ण किया जाना है। 4. चौक शिकारपुर आर.ओ.बी. के फिनिशिंग कार्य को शीध्र पूर्ण कराने का निदेश रेलवे के प्रतिनिधि को दिया गया। 5. आयोजन के अवसर पर पटना जंक्शन से पटना साहिब एवं पटना घाट रेलवे स्टेशन हेतु 15 दिसम्बर,16 से 10 जनवरी, 17 तक प्रति धंटे शटल सेवा के लिए रेलवे विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
पर्यटन विभाग	1. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि आयोजन के प्रचार–प्रसार हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ करा ली गई है एवं प्रचार की प्रकिया आरंभ करा दी गई है। पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई जिसे ससमय पूर्ण करा लिया जायेगा। 2. श्रद्धालुओं के आवासन हेतु प्रस्तावित टेन्टेड सिटी के संबंध में प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि गॉधी मैदान के लिए बाईपास थाना के निकट पार्किंग स्थल के पास टेन्टेड सिटी के निर्माण हेतु 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है जिसके लिए भूमि के प्रस्ताव की मॉग जिलाधिकारी, पटना से की गई है। जिलाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि पूर्व में 70 एकड़ भूमि पार्किंग

	स्थल हेतु चिन्हित की गई है। तत्पश्चात् टेन्टेड सिटी हेतु 10 एकड़ भूमि की माँग किये जाने पर पूर्व में चिन्हित भूमि के सामने सड़क के उस पार 20.38 एकड़ अतिरिक्त भूमि का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 90.38 एकड़ भूमि का चयन किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि पार्किंग हेतु चिन्हित 70 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि पर टेन्टेड सिटी का निर्माण कराया जायेगा एवं शेष 20+20=40 (चालीस) एकड़ भूमि पर पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। 3. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि आई.टी. से संबंधित सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। "Mobile App" तैयार किया जा रहा है। वेवसाईट तैयार कर लिया गया है,जिसका उद्‌घाटन माननीय मुख्यमंत्री,बिहार द्वारा दिनांक 15.09.16 को किया जाना निर्धारित है। 4. प्रचार–प्रसार हेतु दो multi-media प्रचार वाहन दिनांक 15.09.16 को रवाना किया जायेगा, जिसकी संख्या बाद में बढ़ाई जायेगी। 5. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि सिटी मैप, पर्यटन स्थलों की मार्गदर्शिका, दूरभाष निर्देशिका आदि तैयार कराया जा रहा है।
परिवहन विभाग	1. श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मुख्य मार्गो पर फ्री रिंग सर्विस का परिचालन परिवहन विभाग द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से कराया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय का वहन परिवहन विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिए विभाग द्वारा एक कार्य योजना तैयार की जायेगी। यथा संभव फ्री रिंग सर्विस हेतु अच्छी स्थिति वाली बसों का चयन किया जाना अपेक्षित होगा। 2. पटना सिटी क्षेत्र के संकीर्ण सड़कों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ चयनित मार्गों पर श्रद्धालुओं विशेषकर बच्चे, बृद्ध एवं महिलाओं की सुविधा हेतु ई–रिक्शा का सर्वेक्षण कर अच्छी गुणवत्ता के ई–रिक्शा का चयन करने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि श्रद्धालुओं के लिए ई–रिक्शा की सेवा दी जाएगी एवं इस पर होने वाले व्यय का वहन परिवहन विभाग के द्वारा किया जाएगा।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1. आयुक्त, पटना प्रमण्डल,पटना द्वारा बताया गया कि आवासन हेतु 65 विद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित विद्यालयों में बड़ी संख्या में अस्थायी शैचालयों का निर्माण किस विभाग द्वारा कराया जाएगा,के संबंध में निर्णय अपेक्षित है। पूर्व में शिक्षा विभाग के द्वारा इसका निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था किन्तु बैठक में उपस्थित शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि एवं प्रबंध निदेशक, बी0एस0ई0आई0डी0सी0 द्वारा विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए इसमें कठिनाई व्यक्त की गयी। विधालय में existing शौचालयों की मरम्मति का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा BSEIDC के माध्यम से कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग इसे ससमय पूरा कराये। निर्णय लिया गया कि विद्यालयों में अस्थाई शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जायेगा, जो Pre-fabricated structure के अच्छी गुणवत्ता के होंगे। 2. टैंकर द्वारा जलापूर्ति के संबंध में प्रधान सचिव,पी.एच.ई.डी. द्वारा बताया गया कि सभी पुराने टैंकरों की मरम्मति करा ली गई है। 60 नये टैंकरों के क्रय हेतु कार्यादेश निर्गत है,जिसकी आपूर्ति 15 अक्टूबर 2016 तक संभावित है। इसमें विलम्ब न हो यह सुनिश्चित किया जाय।

	3. प्रधान सचिव,पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि टेन्टेड सिटी हेतु प्रस्तावित स्थलों पर पेयजल आपूर्ति हेतु जल स्त्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। विभाग द्वारा जानकारी दी गई की गाँधी मैदान में जल स्त्रोत उपलब्ध है, परंतु बाईपास के निकट जलापूर्ति हेतु बोरिंग कराया जाना अपेक्षित होगा। 4. टेन्ट सिटी में शौचालय, पेयजल का पर्यवेक्षण पी0एच0ई0डी0 द्वारा किया जायेगा तथा नगर निगम द्वारा सभी प्रकार के wastage disposal में अपेक्षित सहयोग किया जायेगा। 5. आयोजन से संबंधित विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में "टैंकर/जलदूत" की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया।
उर्जा विभाग	1. प्रधान सचिव,उर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि तारों के बंच केवलिंग, पोलों की शिफ्टिंग, आदि का कार्य 30 सितम्बर 2016 तक पूर्ण करा लिया जायगा। धीमी प्रगति के संबंध में बताया गया कि लोड शेडिंग से आम जनता को कठिनाई होती है। 2. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि गुरु के बाग में विद्युत कनेक्श नहीं है। कार्यपालक अभियंता को शीघ्र विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 3. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी द्वारा बकाया विद्युत विपत्र के संबंध में बताया गया। प्रधान सचिव,उर्जा विभाग को इस संबंध में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई का निदेश दिया गया। 4. आयोजन के अवसर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के संबंध में प्रधान सचिव,उर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली गई हैं। विद्युत संबंधी कोई समस्या नहीं होगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग	1. प्रधान सचिव,नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि 10 चलन्त शौचालय एवं 23 पोर्टेबल यूरिनल के लिए 110.20 लाख रुपये, 36 पुराने सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मति एवं रख रखाव हेतु 109.48 लाख रुपये, 19 स्थाई एवं 100 अस्थाई प्याऊ के अधिष्ठापन हेतु 56.739 लाख रुपये का आवंटन नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को निर्गत कर दिया गया है। अबतक कोई निविदा नहीं की गयी जो अनुचित है। नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को इन व्यवस्थाओं हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए शीघ्र कियान्वयन का निदेश दिया गया। 2. शहर में आवासन स्थल व टेन्ट सिटी को छोड़कर जहाँ भी अस्थायी यूरिनल एवं शौचालय की आवश्यकता होगी वह नगर निगम बनायेगा। इसके लिए पर्याप्त स्थल चिन्हित किये जाय, ताकि बाद में समस्या न हो। टेन्डर अभी तक नहीं हुआ है। इसे शीघ्र करें। 3. पूर्व से निर्मित शौचालय की मरम्मति व रख–रखाव proper हो यह सुनिश्चित करें। निविदा में तीन साल के रख–रखाव की शर्त रखें। नगर आयुक्त, अगली बैठक में शौचालय के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें। 4. नगर आयुक्त, पटना द्वारा बताया गया कि सफाई हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जिसके आलोक में 45 दिनों तक लगातार सफाई हेतु 2.70 करोड़ (दो करोड़ सत्तर लाख) रुपये के आवंटन की माँग विभाग से की गई है। उन्हें निदेश

दिया गया कि वे ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे, जहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कराई जानी है। आउटसोर्सिंग हेतु कोई निविदा नहीं करने पर खेद व्यक्त करते हुए निविदा आदि की प्रकिया पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

5. बुडको के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्वीकृत हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन हेतु कार्यादेश निर्गत है एवं कार्य प्रारंभ है,जिसे 15 नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जायेगा। कार्य में विलम्ब को देखते हुए उन्हें निदेश दिया गया कि यथा संभव हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य इस माह के अंत तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जाय,ताकि दुर्गा पूजा के अवसर पर उसका उपयोग हो सके। उसी प्रकार स्ट्रीट लाईट का कार्य भी 31 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

6. आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण उपरांत पाया गया है कि पटना सिटी क्षेत्र में पूर्व से अधिष्ठापित 16 हाईमास्ट लाईट में से 14 एवं 2029 सी.एफ.एल. में से 1702 सी.एफ.एल. खराब है, जो काफी चिन्ताजनक स्थिति है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इसके लिए आवंटन प्राप्त है एवं एक माह के अंदर इन्हें चालू करा लिया जायेगा। निदेश दिया गया कि हाईमास्ट लाईट तथा स्ट्रीट लाईट एकरारनामा में maintenance की शर्त जोड़ी जाय, एव इसके लिए संबंधित एजेन्सी की समानुपातिक राशि Balance रखी जाय, ताकि भविष्य में maintenance की समस्या न हो। यह भी निदेश दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के अवसर पर किसी भी परिस्थिति में अच्छी प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। उक्त कम में यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि पटना सिटी क्षेत्र की एक भी गली स्ट्रीट लाईट से वंचित न रहे। इसके लिए स्ट्रीटवार समीक्षा नगर आयुक्त करें तथा स्ट्रीटवार प्लान प्रस्तुत करें ताकि कहीं अंधेरा न रहे।

7. प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि चौक थाना में बोरिंग का कार्य प्रारंभ है, जिसे शीध्र पूण करा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त पटना सिटी क्षेत्र में अन्य चार स्थलों में से तीन स्थलों पर बोरिंग का कार्य हो गया है जिनसे इस माह के अंत तक जलापूर्ति प्रारंभ की जायेगी। इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया।

8. सड़क/गली एवं नाला निर्माण की 13 योजनाओं के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि 10 योजनायें इस माह के अंत तक पूर्ण करा ली जायेगी।

9. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित टेन्टेड सिटी (गाँधी मैदान एवं बाईपास के निकट)से sludge की निकासी हेतु सिवरेज लाईन नहीं रहने के कारण suction machine की उपलब्धता अपेक्षित है। अपर नगर आयुक्त एवं प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य जल पर्षद को निदेश दिया गया कि वे अपने कार्यालय में उपलब्ध मशीन के साथ-साथ निजी ऑपरेटरों की सूची उपलब्ध करायें ताकि संबंधित एजेन्सी द्वारा भुगतान के आधार पर उसका उपयोग किया जा सके।

10. प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को अन्तर्राष्ट्रीय सिख कॉन्क्लेव (22-24 सितम्बर) के मद्देनजर पटना शहर एवं पटना

	सिटी गुरूद्वारा के निकट के प्रमुख सड़को/गलियों में दिनांक–20.09.2016 से ही समुचित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निदेश दिया गया। 11. जिला प्रशासन को आवंटित 2 करोड़ रूपये का हस्तांतरण नगर निगम से नहीं हुआ है। शीघ्र हस्तांतरण करने का निदेश दिया गया।
शिक्षा विभाग	1. श्रद्धालुओं एवं पुलिस बल के आवासन हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित 65 विद्यालयों के मरम्मति, विद्युतिकरण एवं रंग रोगन के सम्बन्ध में M.D.BSEIDC के द्वारा बताया गया कि पूर्व में चयनित 11 विद्यालयों में से 4 में कार्य पूर्ण है जबकि शेष 7 विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है। उन्हे चयनित सभी 65 विद्यालयों में समरूप कारवाई का निर्देश दिया गया। उक्त क्रम में पूर्व से निर्मित शौचालयों की मरम्मति, विद्युत वायरिंग, चापाकल मरम्मति, ओमर हेड टेंक से वाटर सप्लाई (यदि हो) की मरम्मति आदि का कार्य भी कराया जाना अपेक्षित होगा। उक्त सभी कार्य 31 अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। 2. जिन विद्यालयों में विद्युत उपलब्धता नहीं है उसमें 15 दिनों के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर विद्युत उपलब्धता करा लिया जाय। 3. शिक्षा विभाग प्रकाशोत्सव हेतु इन विद्यालयों को आवंटित करने का आदेश शीघ्र निर्गत करें।
स्वास्थ विभाग	1. आयोजन के स्थल पर श्रद्धालुओं को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी है, उक्त क्रम में दवाओं एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के साथ–साथ चिकित्सा शिविरों की पूर्व तैयारी अपेक्षित है। 2. पी.एम.सी.एच., एन.एम.सी.एच.,जी.जी.एस हॉस्पीटल के साथ–साथ निजी अस्पतालों में भी आकस्मिता से निपटने हेतु आवश्यक व्यवस्था अपेक्षित है। 3. स्वास्थ्य विभाग अगली बैठक में विस्तृत प्लान प्रस्तुत करें।
बेल्ट्रान	1. चयनित स्थलों पर सी.सी.टी.भी.कैमरा का अधिष्ठापन का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश बेल्ट्रान को दिया गया। साथ ही Control Room भी अधिष्ठापित करने का निदेश दिया गया।
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	1. प्रधान सचिव,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा बताया गया कि hoardings को चिन्हित कर लिया गया है। सरकारी होर्डिंग के साथ–साथ व्यवसायिक होर्डिंग को भी 15 दिनों के लिए उपयोग किया जायेगा। निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,नगर निगम पटना एवं पर्यटन विभाग के एक–एक पदाधिकारी की टीम गठित कर व्यावसायिक /सरकारी होर्डिंग का सर्वेक्षण कराकर होर्डिंग के स्थल एवं आकार के साथ 15 दिनों के अंदर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय ताकि तदनुसार फ्लैक्स की प्रिंटिंग कराई जा सके। यह भी निदेश दिया गया कि व्यवसायिक होर्डिंग की grouping की जाय ताकि रोटेशन के आधार पर अधिक से अधिक होर्डिंग, आयोजन के तीन माह पूर्व से प्राप्त हो सके जिससे अधिक से अधिक प्रचार संभव हो सकेगा। 2. 22 से 24 सितम्बर तक आयोजित होने वाले "अन्तर्राष्ट्रीय सिख कॉन्क्लेव" हेतु भी होर्डिंग,समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराने का निदेश दिया गया।

गृह विभाग	1. आयुक्त, पटना प्रमण्डल,पटना द्वारा बताया गया कि चौक थाना को नया भवन में शिफ्ट कराकर पुराने भवन को अविलम्ब तोड़ा जाना अपेक्षित है। पुलिस महानिदेशक सह प्रबंध निदेशक, पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक को नये थाना भवन में थाना कार्यालय को अविलम्ब शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कार्यपालक अभियंता, पुलिस भवन निर्माण निगम को निदेश दिया गया कि सितम्बर 2016 के अंत तक पुराने थाना भवन को डिमॉलिस करते हुए debris को हटाना सुनिश्चित करें। इसमें हो रहे विलम्ब पर खेद व्यक्त किया गया। 2. प्रबंध निदेशक, पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा बताया गया कि स्वीकृत पोटा केबिन के निर्माण हेतु संबंधित विभागों द्वारा भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्य अवरुद्ध है। पटना नगर निगम, कृषि विभाग एवं रेलवे को निर्देश दिया गया कि अविलम्ब अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय। प्रमंडलीय आयुक्त को बैठक कर समस्या का निदान करने का निदेश दिया गया। 3. नगर पुलिस अधीक्षक,पूर्वी द्वारा बताया गया कि विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता हेतु पुलिस मुख्यालय को अधियाचना भेजी गई है। पुलिस मुख्यालय को प्राप्त अधियाचना पर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया। 4. जिला पदाधिकारी,पटना द्वारा बताया गया कि इस आयोजन के अवसर पर विभिन्न जगहों पर स्थापित "हेल्प डेस्क" पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अन्य जिलों से पंजाबी भाषा के जानकार सैप के जवानों की प्रतिनियुक्ति अपेक्षित है, इन जवानों की प्रतिनियुक्ति से इसके अतिरिक्त विधि–व्यवस्था संधारण के कार्यो में भी सहयोग मिलेगा। पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में कार्रवाई का अनुरोध किया गया। 5. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से अनुरोध किया गया कि वे गुरुद्वारा परिसर, पार्किंग स्थल, जूताघर, अमानती घर एवं अन्य स्थलों पर जिला प्रशासन के सहयोग हेतु पंजाबी वोलेन्टियर की सूची उनके पूर्ण विवरण के साथ 15 दिनों के अंदर वरीय पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध करा दें। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि वे पर्याप्त संख्या में वोलेन्टियर उपलब्ध करायेगें। उनके द्वारा प्याऊ पर भी वोलेन्टियर की प्रतिनियुक्ति की बात कही गई। 6. आयोजन के अवसर पर पर्याप्त पुलिस बल की पटना जिले में उपलब्धता हेतु अनुरोध किया गया।
सामान्य प्रशासन विभाग	1. आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना द्वारा बताया गया कि आयोजन के सफल संचालन हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी स्तर का एक एवं वरीय उप समाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति मेला दण्डाधिकारी/सहायक मेला दण्डाधिकारी के रुप में करने का अनुरोध किया गया। साथ ही 10 दिसम्बर से 10 जनवरी तक के लिए 50 अतिरिक्त दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का भी अनुरोध किया गया।
हेल्प डेस्क की स्थापना	1. जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि उक्त अवसर पर 20 स्थानों पर हेल्प–डेस्क की स्थापना की जायेगी जिसमें पुलिस सहायता, चिकित्सा–सहायता, खोया–पाया, मार्गदर्शन, पूंछताछ एवं पर्यटन स्थलों की सूचना रहेगी। उसके लिए

	जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।
पार्किंग	1. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा बताया गया कि मुख्य पार्किंग स्थल बाईपास के निकट होगा जहाँ से श्रद्धालुगण पैदल गुरुद्वारा के लिए जायेंगे। सम्प्रति टेन्टेड सिटी सहित कुल 90.38 एकड़ भूमि चिन्हित है। सभी भूमि रैयती है,जिसे अस्थायी रुप से किसानों से प्राप्त करने हेतु 217.50 लाख (दो करोड़ सतरह लाख पच्चास हजार) रुपये मात्र मुआवजा भुगतान हेतु आवंटन की आवश्यकता है। साथ ही पार्किंग हतु बाद में चिन्हित 20.38 एकड़ भूमि के लिए पहुँच पथ एवं समतलीकरण की भी आवश्यकता है। भूमि के चयन तथा किराये की राशि पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया गया कि किराया मुआवजा राशि हेतु आवंटन पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं पहुँच पथ तथा समतलीकरण एवं पार्किंग हेतु अन्य व्यवस्था का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा।
कला संस्कृति	1. पटना सिटी स्थित हेरिटेज भवनों के संरक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध प्रधान सचिव,कला एवं संस्कृति विभाग से किया गया। 2. प्रधान सचिव,कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बताया गया कि पटना शहर के विभिन्न सभागार/औडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यकम के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारी की जा रही है।
गुरुद्वारा से संबंधित कार्य	1. जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गुरुद्वारा से निकलने वाले द्वारों (गेट) को चौड़ा करने का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से इसे अविलम्ब सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु जिला प्रशासन को गुरूद्वारा के कैम्पस के अन्दर उपयुक्त कमरे उपलब्ध कराये जाय। 2. गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से अनुरोध किया गया कि वे आयोजन का डे टूडे कार्यकम का विवरण अविलम्ब उपलब्ध करायें । उनके द्वारा 30 सितम्बर तक कार्यकम का विवरण उपलबध कराने का आश्वासन दिया गया।
अन्य मुद्दे	1. बाईपास के निकट गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सद्वारा निर्माणाधीन तोरण द्वार के निर्माण एवं नामाकरण संबंधी विवाद पर चर्चा के कम में बताया गया कि सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव,बिहार श्री जी.एस.कंग की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति के गठन संबंधी अधिसूचना निर्गत की गयी है। इस मामले पर निर्णय उक्त कमिटी के स्तर से लिया जाना श्रेयष्कर होगा। 2. पर्यटन विभाग द्वारा कंगन घाट पर प्रस्तावित घाट निर्माण कार्य को थोड़ा शिफ्ट किये जाने की स्थिति में पूरा क्षेत्र वैशाली जिला के क्षेत्रान्तर्गत होगा एवं सारण जिला से अन्तर सीमा समस्या का समाधान हो जायेगा। प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग से तद्नुसार आवश्यक निर्णय का अनुरोध किया गया। 3. बाललीला गुरुद्वारा द्वारा भी लंगर,टेन्ट सिटी,आवास आदि हेतु भूमि/विद्यालय भवनों की मॉग की जाती है। इस मामले को भी निर्णयार्थ सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। 4. पटना सिटी स्थित सामुदायिक भवन में सभी संबंधित विभागों का कैम्प कार्यालय

	दिनांक 01.10.2016 से प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। 5. आयुक्त पटना प्रमण्डल,पटना द्वारा बताया गया कि विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के बीच सुगम समन्वय हेतु प्रत्येक कार्यालय/विभाग द्वारा एक–एक नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाना अपेक्षित है। सभी विभागों/कार्यालय प्रधान को अविलम्ब नोडल पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर आपस में एक्चेन्ज करने का निदेश दिया गया। 6. कंगन घाट पर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मति जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के सहयोग से कराने का निर्देश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

19/9 | 19/9/2016 | 20.9.16

आयुक्त,
पटना प्रमण्डल, पटना

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास
विभाग, बिहार

विकास आयुक्त,
बिहार

ज्ञापांक– 6514 पटना दिनांक– 20/9/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव/पर्यटन विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/उर्जा विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/परिवहन विभाग/सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग/कला संस्कृति एवं युवा विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन/महासचिव, तख्त श्री हरिमंदिर जी साहिब, पटना सिटी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9 | 19/9/2016 | 20/9

आयुक्त,
पटना प्रमण्डल, पटना

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास
विभाग, बिहार

विकास आयुक्त,
बिहार